

107 हफ्ता 20

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी
खूँटी.

जि. नं. 00244
बनाम
राजकुमार महता को

M-41/17 आदेश पत्रक

12/5/17

अभिलेख संख्या :- एम. 41 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 17/17

169
12/5-17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0 प्र0 स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 26/5/17 को उपस्थापित करें ।

12/5/2017
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

3

1/1/12

प्रमाण पत्र 225 के अन्तर्गत 2011, 2012
 के वर्षों में 2012 के अन्तर्गत के विद्युत
 अधिनियमों का वही प्रमाण पत्र विक्री संग्रहण
 समिति के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 करवाकर दावा किये जा रहे अन्तर्गत का
 सिद्धि करवा सकते हैं समिति के अन्तर्गत
 होने के कारण वही अन्तर्गत अन्तर्गत
 करवा सकते हैं

21/1/12